संख्या- 08 /2024/ 670 /001-53-1099-099-29-2024

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उ0प्र0,लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 08 जुलाई, 2024**

विषय:- उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 अन्तर्गत मै0 भारत स्कायर एण्ड दूध प्रोडक्ट्स,नोएडा को पूंजीगत अनुदान अवमुक्त किये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-08/दुग्ध नीति-2018/प्रक्रियाधीन प्रस्ताव, दिनांक 23 अप्रैल, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा से उ0प्र0 प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति (SLEC) से स्वीकृत परियोजना प्रस्तावों में से 11 परियोजना प्रस्तावों हेतु उपलब्ध कराये गए प्रस्ताव में मै0 भारत स्कायर एण्ड दूध प्रोडक्ट्स,नोएडा को SLEC द्वारा स्वीकृत रु0 50.00 लाख के पूंजीगत अनुदान को अवमुक्त किये जाने के लिए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरांत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि 500.00 लाख के सापेक्ष मै0 भारत स्कायर एण्ड दूध प्रोडक्ट्स,नोएडा को रु0 50.00 लाख (रुपये पचास लाख मात्र) की पूंजीगत अनुदान की धनराशि अवमुक्त किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध</u>

(1) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान नीति विषयक गाईडलाइन्स का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) अनुदान वितरण से पूर्व अर्हताओं एवं औपचारिकताओं की पूर्ति दुग्ध आयुक्त,दुग्धशाला विकास द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

(3)स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 अंतर्गत संस्थाओं/प्रमोटर्स के पूंजीगत अनुदान के भुगतान हेतु किया जायेगा ।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मद से इतर किसी अन्य मद में किये जाने वाला व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का होगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस कार्य/मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उस कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है ।

(8) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(9) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का उत्तरदायित्व होगा ।

(10) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर लिया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र०शासन के कार्यालय-ज्ञाप 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(12) दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 016 लेखा शीर्षक 2404001020900 उ0प्र0 दुग्ध नीति- 2018 मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज ।

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

5- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनु0-1/नियोजन अनु0-3/राज्य योजना आयोग-3/दुग्ध विकास अनु0-2, उत्तर प्रदेश शासन।

7- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।